F. No./ ASRB/ 9(3)/2017-Assessment Cell Dated the 21 APR 2017

To

All the Directors / Project Directors / National Research Centres / Bureaux / ATARIs and Project Coordinators.

Sub.: Revised performance evaluation/Score Card for promotions/upward movement of ARS Scientists under the revised CAS effective from 1.1.2009.

Ref.: (I) ICAR letter No. 1(1)/2009-Per.IV dated March 6, 2009.
(II) ICAR letters No. 9(1)/2010-Per.IV dated 4th November, 2011, 12th December, 2011 and letter No. 9(1)/2012-Per.IV dated 25th April, 2012.
(III) ASRB letter no. 5(3)/2012-Assess.Cell dated 29th July, 2013.

Sir/Madam,

In connection with above, I am directed to say that ASRB is going to take up the assessment cases under the Revised CAS for consideration of promotion from Sr. Scientist grade (RGP 9000) to Principal Scientist grade (RGP 10,000) in respect of such Sr. Scientists (RGP 9000/-) as have rendered 3 years of requisite service in the grade of Sr. Scientist (RGP 9000) **upto 31-03-2017**. Three copies of Assessment Proformae of such Sr. Scientists (duly filled in by the Sr. Scientist himself/herself and authenticated/verified by the Director of the Institute) may be forwarded to the Board latest and positively by **30-06-2017.**

2. The proposals in respect of Sr. Scientists, who were considered earlier under the revised CAS for the relevant assessment period, but not recommended for promotion to the grade of Principal Scientist from the due date, will be considered **for next evaluation** as per the revised CAS after 2 years from the due date of promotion.

(**Illustration**:- Suppose, under the revised CAS, a Senior Scientist was considered to the grade of Principal Scientist for the period from 01-01-2012 to 31-12-2014 with the due date of promotion being 01-01-2015 but not recommended for promotion, the assessment proformae required to be submitted **for next evaluation** would relate to the period from 01-01-2014 to 31-12-2016 and his /her revised due date of promotion shall be 01-01-2017). **Three copies of assessment proformae of such Sr. Scientists for the revised assessment period may also be forwarded to ASRB by 30-06-2017.**

3. **The Directors, while forwarding the assessment proformae of the Sr. Scientists with Certificate mentioned at para 1 above, may also certify the authenticity of the attributes on each page of the assessment proformae (S.No. 1 - S.No.11-B) indicating the genuineness of the attributes in terms of actual contributions made by the concerned scientist without any duplicacy of records. Further, against Col. no. 9 of the assessment proforma of the candidate, it may be certified/endorsed whether the candidate was placed in RGP 9000 through CAS Assessment Committee or lateral entry through ASRB.**

4. **Only the proformae uploaded/available on the ASRB website** (www.asrb.org.in) **are to be used/sent** to the ASRB.

5. As far as possible, the candidates/Sr. Scientists may furnish the information in the given space in the relevant assessment proforma only, rather than resorting to annexures. **It may also be ensured that the assessment proposals are received in ASRB on or before 30-06-2017.**

6. This issues with approval of the Chairman, ASRB.

Yours faithfully

(Rajiv Mangotra)
Deputy Secretary (Rectt.)

P.T.O.

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कृषि अनुसंधान भवन–1, पूसा, नई दिल्ली–110012

फा.स / कृ.वै.च.मं./ 9(3)/2017–मूल्यांकन प्रकोष्ठ

दिनांकः 21 APR 2017

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के समस्त निदेशकों /परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरों के निदेशक/परियोजना निदेशक तथा ए.टी.ए.आर.आई. के निदेशकगण एवं परियोजना समन्वयक।

विषय : दिनांक 01/01/2009 से प्रभावी संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों की पदोन्नति/अपवर्ड मूवमेंट हेतु कार्य निष्पादन को संशोधित मूल्यांकन/स्कोर कार्ड।

संदर्भः (I) भा.कृ.अनु.प. पत्र संख्या 1(1)/2009–कार्मिक–IV दिनांक 6 मार्च, 2009
(II) भा.कृ.अनु.प. पत्रों की संख्या 9(1)/2010–कार्मिक–IV दिनांक 4 नवम्बर, 2011; 12 दिसम्बर, 2011 तथा पत्र सं. 9(1)/2012–कार्मिक–IV दिनांक 25 अप्रैल, 2012
(III) कृ.वै.च.मं. पत्र संख्या 5(3)/2012–मूल्यांकन कक्ष, दिनांक 29 जुलाई, 2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी 9000) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी 10,000) पर पदोन्नति के लिए कृ.वै.च.मं. उन वैज्ञानिकों के, जिन्होंने **31 मार्च, 2017** तक तीन वर्षों का आवश्यक सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, मूल्यांकनों पर विचार करेगा। उक्त प्रकार के वैज्ञानिकों (वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा स्वयं भरे गए तथा संस्थान के निदेशक द्वारा सत्यापित/जांच की गई प्रतियां) के संदर्भ में मूल्यांकन प्रपत्र की तीन प्रतियां मंडल को दिनांक **30 जून, 2017** तक हर हालत में भेज दी जाए।

2. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत संबंधित मूल्यांकन अवधि के प्रस्तावों पर पूर्व जिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मामलों पर विचार किए गए, परन्तु देय तिथि (due date) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं की गई, उनके संदर्भ में देय पदोन्नति तिथि से 2 वर्ष बाद संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन (next evaluation) किया जाएगा।

(उदाहरणार्थः यदि किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक का प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर देय पदोन्नति तिथि 01/01/2015 से पदोन्नति हेतु संबंधित मूल्यांकन अवधि 01/01/2012 से 31/12/2014 के लिए मूल्यांकन किया गया परन्तु पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं दी गई, उन वैज्ञानिकों की पुनर्मूल्यांकन अवधि वर्ष 01/01/2014 से 31/12/2016 होगी और उनकी पदोन्नति की संशोधित देय तिथि 01/01/2017 होगी)। उक्त प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र 3 प्रतियों में कृ.वै.च.मं. को **30 जून, 2017** तक प्रेषित कर दी जाए।

3. वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करते समय निदेशकगण मूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर (क्रम सं. 1 से क्रम सं. 11बी) विषयवस्तु को प्रमाणित करें जिससे सम्बन्धित वैज्ञानिक की विषयवस्तु की सत्यता तथा वास्तविक योगदान, दस्तावेजों की डुप्लिकेसी के बिना स्पष्ट हो। कृपया आवेदक के मूल्यांकन प्रस्ताव के कॉलम सं. 9 के सम्बन्ध में यह भी प्रमाणित/पृष्ठांकित करें कि उम्मीदवार को आरजीपी 9000 में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम मूल्यांकन समिति के माध्यम से रखा गया या कृ.वै.च.मं. के पार्श्व पद्धति के माध्यम से।

4. कृ.वै.च.मं. के वेबसाइट पर (www.asrb.org.in) अपलोड किया गया प्रपत्र या वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र का ही उपयोग किया जाना चाहिए/कृ.वै.च.मं. को भेजा जाना चाहिए।

5. जहां तक संभव हो उम्मीदवार/वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा सूचनाओं को संबंधित प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ही उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि अनुलग्नकों पर निर्भर रहें। **कृपया सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन प्रस्ताव कृ.वै.च.मं. में दिनांक 30 जून, 2017 या इससे पूर्व प्राप्त हो जाए।**

6. यह अध्यक्ष, कृ.वै.च.मं. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(राजीव मंगोत्रा)

राजीव मंगोत्रा
उपसचिव (भर्ती)